(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1512-PBR/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला हरदा, प्रकरण क्रमांक 1/2014–15/अ–70.

1–इमदाद खान पुत्र री रफाकत खान
निवासी फाईल वार्ड हरदा
2–श्रीमती जाहिदा पुत्री श्री रफाकत खान पत्नी शहीद खान
निवासी फाईल वार्ड हरदा

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–नरेश पुत्र मूलचन्द दुबे
2–श्रीमती शिखा पत्नी री नरेश दुबे
निवासीगण कलेक्टर कार्यालय के पास
जिला हरदा

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र पांचाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार हरदा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हरदा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 221/5 एवं 221/6 रकबा 1.417 हेक्टेयर का अनावेदक कमांक 1 भूमिस्वामी है एवं सर्वे नम्बर 221/3 व 221/7 कुल रकबा 1.416 हेक्टेयर की भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 2 है । अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर अनावेदक कमांक 1 भूमि 0.16 डिसमिल एवं अनावेदक कमांक 2 की भूमि 0.37 डिसमिल कुल 0.53 डिसमिल पर आवेदिका कमांक 2 का अवैध कब्जा पाया गया है अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 28–5–15 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को सौपे जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 22–7–16 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि वे मृतक भूमि के वैध वारिसानों को एवं अनावेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणदोष पर विधिसंगत आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–1–17 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ किये जाने पर आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 25–5–17 को आदेश पारित कर 15 दिवस में प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक कमांक 2 से अनावेदक को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 28–5–15 में जिस व्यक्ति को अनावेदकगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है वह प्रकरण लंबित रहने के दौरान ही मृत हो चुका था ऐसी स्थिति

में उसके वारिसान को अभिलेख पर लेकर उनको सूचना देकर पक्ष समर्थन का अवसर देते हुये आदेश पारित करना था, परन्तु ऐसा नहीं करने में तहसीलदार द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा जिन भूमियों पर आवेदकगण का कब्जा बताया जा रहा है उन पर कभी भी आवेदकगण का कब्जा नहीं रहा है और तहसीलदार द्वारा घर बैठकर मान मानी कार्यवाही की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी लंबित है ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को दिलाये जाने का आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) यदि प्रश्नाधीन भूमि पर जमीला बी का नाम दर्ज़ था तब उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान द्वारा अपना नाम दर्ज क्यों नहीं कराया गया अतः मृत होने पर वह हस्ताक्षर कैसे कर सकती थी । इससे स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 को प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी थी और अवैध कब्जा बनाये रखने के उद्देश्य से उसके द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई सहायता अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रदान करने के पश्चात् ही आवेदक की ओर से द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया है इसलिये भी तहसीलदार द्वारा कब्जा दिलाये जाने का आदेश देने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) लिखित तर्क में उठाये गये अन्य बिन्दु इस प्रकरण के निराकरण में विचारणीय नहीं होने से उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के प्रकरण में पारित

आदेश के कियान्वयन के संबंध में की जा रही कार्यवाही को चुनौती दी गई है । जहॉ तक गुणदोष से संबंधित तर्को का प्रश्न है उनको आवेदक संहिता की धारा 250 के मूल आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी में उठाने के लिये स्वतंत्र है, क्योंकि चाहे अपील/निगरानी न्यायालय में कोई स्थगन नहीं है तो तहसील न्यायालय द्वारा किये जा रहे कियान्वयन की कार्यवाही को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है । ऐसा कोई स्थगन आवेदक ने पेश नहीं किया है । कब्जा वापिसी के कियान्वयन संबंधी कार्यवाही में मुख्य रूप से आवेदक के संबध में ही होना है तथा उसमें अनावेदक पक्ष केवल औपचारिक पक्षकार है, अतः आवेदक के वारिसों को रिकार्ड पर लेने की आपत्ति भी औचित्यहीन है । दर्शित परिस्थितयों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.